



राजस्थान सरकार

**कार्यालय सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग, सीकर**

कलेक्ट्रेट परिसर, सीकर

फोन 01572 - 250015 ईमेल -powedwda2014@gmail.com

क्रमांक :- 2020-21/1051


दिनांक 15-12-2020

**खुली निविदा सूचना**

इस कार्यालय में वर्ष 2020-21 में होने वाली विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न व्यवस्था/सामग्री क्रय करने के लिये प्रतिष्ठित एवं सुस्थापित फर्मों से मोहरबन्द निविदाएं निर्धारित प्रपत्र में आमन्त्रित की जाती है।

क्र. सं.	सामग्री / कार्य का विवरण	अनुमानित लागत रुपये लाखों में	निविदा प्रपत्र शुल्क रुपयों में	बोली प्रतिभूति रुपयों में	निविदा विक्रय करने की अंतिम तिथि व समय	निविदा प्रस्तुत कराने की अंतिम तिथि व समय	निविदा खोलने की तिथि व समय
1	बैनर, हॉर्डिंग, पम्पलेट	1.00	200	1000	05.01.21/12.15pm	05.01.21/1.15pm	05.01.21/03.15pm
2	गिफ्ट आईटम	1.50	200	1500	05.01.21/12.15pm	05.01.21/1.15pm	05.01.21/03.15pm
3	वाल पेंटिंग	1.50	200	1500	05.01.21/12.15pm	05.01.21/1.15pm	05.01.21/03.15pm
4	नेम प्लेट, पिन बोर्ड	6.00	200	6000	05.01.21/12.15pm	05.01.21/1.15pm	05.01.21/03.15pm

1. प्राप्त निविदाएं क्रय समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष निर्धारित तिथि एवं समय पर खोली जायेगी।
2. निविदा संबंधी प्रपत्र व शर्तें कार्यालय सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग, सीकर में कार्यालय समय में एवं [www.sppp.raj.nic.in](http://www.sppp.raj.nic.in) अथवा <http://wcd.rajasthan.gov.in> पर देखी जा सकती है।
3. निविदा प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति कार्यालय सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग, सीकर के नाम से देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक द्वारा जमा करवाई जा सकती हैं।
4. किसी भी निविदा को या उस निविदा के किसी भी भाग को बिना कोई कारण बताये रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
5. उपरोक्त सामग्री की मात्रा अनुमानित है जिसमें कमी अथवा बढ़ोतरी की जा सकती है। कमेटी उक्त अंकित किसी सामग्री की न्यूनतम मात्रा अथवा कोई सामग्री क्रय करने के लिये बाध्य नहीं है।


  
सहायक निदेशक  
महिला अधिकारिता विभाग,  
सीकर

दिनांक/15-12-2020

क्रमांक :- 2020-21/1052-56

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ :-

1. श्रीमान् निदेशक महिला अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता, राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. नोटिस बोर्ड कलेक्ट्रेट, कोषालय, जिला परिषद सीकर पर चस्पा हेतु।
4. कार्यालय नोटिस बोर्ड।
5. संपादक राजस्थान पत्रिका सीकर को प्रेषित कर लेख है कि शेखावाटी संस्करण में न्यूनतम स्पेस में प्रकाशित करने हेतु।

  
सहायक निदेशक  
महिला अधिकारिता विभाग,  
सीकर